न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 263/2024

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

अवतार कौर पत्नी श्री बख्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

....वादी

–:: बनाम –::

1. हरबन्स सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

–– प्रतिवादी

उपस्थित–अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी — वादी
अधिवक्ता ऋषिपाल जोशी — प्रतिवादी 1
पैरोकार राज — (प्रति.–2)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 26.06.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य दादी– पोता का सम्बन्ध है। चक 5 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 11 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.582 है. नहरी कृषि भूमि अवतार कौर पत्नी बख्शीश सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 5 सी छोटी के संयुक्त खाता संख्या 11 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है।चक 5 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 76 के मुरब्बा नम्बर 36 की कुल 6.325 है. नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हरबन्स सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम 1582/6325 हिस्सा यानि 1.582 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 5 सी छोटी के संयुक्त खाता संख्या 76 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। चक 5 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 11 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.582 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.823 है. कृषि भूमि चक 5 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 76 के मुरब्बा नम्बर 36 की कुल 6.325 है. नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हरबन्स सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम दर्ज 1582/6325 हिस्सा यानि 1.582 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.823 है. कृषि भूमि के साथ काश्त की सहूलियत एवं सिंचाई पानी की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए तबादला कर लिया तथा तबादला करके विगत दो वर्षो से कब्जा का लेन देन कर लिया है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारस्परिक सहमति से किए तबादला अनुसार उक्त कृषि भूमि के काबिज काश्त है परन्तु भूमि राजस्व रिकार्ड में तबादला अनुसार दर्ज नहीं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

होने के कारण पक्षकारान को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा वादीया उक्त कृषि भूमि का उपभोग नहीं कर सकती है, तथा कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड आदि की सुविधाओ से एवं उक्त कृषि भूमि में सुधार कार्य करवाने में भी वंचित हो रही है ऐसी सूरत में वादीया उक्त कृषि भूमि घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने की अधिकारी है। वादीया ने पारस्परिक सहमति से हुए मौखिक विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतू प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष उक्त रकबा एक दुसरे के नाम दर्ज करने हेतू आवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 2 ने श्रीमान जी न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी गई जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 1 आजकल आजकल कर समय व्यतीत कर टाल मटोल करता रहा अन्ततः दिनांक 08/12/2024 को कहा तो प्रतिवादी ने साफ इन्कार कर दिया, बस यही बिनाय मुखास्मत है। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि चक 5 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर में स्थित है इसलिए वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीया का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :—

(क) कि चक 5 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 76 के मुरब्बा नम्बर 36 की कुल 6.325 है. नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हरबन्स सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम दर्ज 1582/6325 हिस्सा यानि 1.582 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.823 है. कृषि भूमि वादीया अवतार कौर पत्नी श्री बख्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे ।

(ख). कि चक 5 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072—2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 11 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.582 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.823 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरबन्स सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

(ग) उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

(घ) वादीया को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(ड़) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीया के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। वदी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 हरबंश सिंह पुत्र बलवीर सिंह द्वारा जरिए मुख्तयार आम बलवीर सिंह पुत्र बख्शीश सिंह के आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि उपरोक्त अनवानी राजस्व वाद पत्र में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने आपस में राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा एवं बिना किसी जबर दवाब के राजीनामा स्वीकार कर लिया है पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। पक्षकारान ने चक 5 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 76 के मुरब्बा 36 व खाता संख्या 11 के मुरब्बा नम्बर 18 की कृषि भूमि का पारस्परिक सहमति से निम्न प्रकार विभाजन किया है :—

(क) कि चक 5 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 76 के मुरब्बा नम्बर 36 की कुल 6.325 है. नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हरबन्स सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम दर्ज 1582/6325 हिस्सा यानि 1.582 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.823 है. कृषि भूमि वादीया अवतार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

कौर पत्नी श्री बख्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे ।

(ख). कि चक 5 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 11 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.582 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.823 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरबन्स सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया जावे एवं उक्तानुसार बंटवारा अनुसार घोषित कर डिक्री जारी की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वाद में वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा राजीनामा पेश किये जाने एवं वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होने पर प्रकरण में विवाद्यक कायम नहीं किये गये।

वादी द्वारा साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत्–2072–2075 ग्राम 5 सी छोटी, पटवार क्षेत्र 3 सी छोटी, भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड खाता संख्या 11 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत्–2072–2075 ग्राम 5 सी छोटी, पटवार क्षेत्र 3 सी छोटी, भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड खाता संख्या 76 प्रदर्श–2 पदर्शित करवाई गई।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा शपथ पत्र तादादी 100/– रूपये इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि "उक्त तबादलाशुदा रकबा पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन जारी नहीं किया गया है, प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजाती साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2072–2075 ग्राम 5 सी छोटी, पटवार क्षेत्र 3 सी छोटी, भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड खाता संख्या 11 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत्–2072–2075 ग्राम 5 सी छोटी, पटवार क्षेत्र 3 सी छोटी, भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड खाता संख्या 76 प्रदर्श–2, प्रस्तुत शपथ पत्र एवम् वादी एवं प्रतिवादी के मध्य भूमि के समेकन हेतु आपसी विनिमय की सहमति होने से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत विनिमय हेतु वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

मुताबिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के खातेदार अभिधारी अपनी जोत को समेकित करने हेतु अन्य खातेदार अभिधारी के साथ विनिमय कर सकता है। बशर्त विनिमय में भूमि समान मूल्य व गुणवत्ता की हो।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्युद्ध अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी) में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में उक्त विवेचन अक्षरतः चस्पा होता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक आपसी सहमति स्वीकार किया जाकर वादी एवम् प्रतिवादी को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता हैः–

(क) कि चक 5 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 76 के मुरब्बा नम्बर 36 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

से प्रतिवादी संख्या 1 हरबन्स सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम दर्ज 1582/6325 हिस्सा यानि 1.582 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.823 हैक्टर कृषि भूमि का वादीया अवतार कौर पत्नी श्री बख्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है।

(ख). कि चक 5 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 11 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.582 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.823 हैक्टर कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 हरबन्स सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 26.06.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर